(वाद सं०– 3913/4/27/2022)

22.11.2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, महेश्वर पासवान, सेवानिवृत्त चौकीदार, अंचल कार्यालय, रूपौली, पूर्णिया को सेवानिवृत्ति के बाद भी द्वितीय MACP के अन्तर राशि का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, पूर्णिया** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, पूर्णिया** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया व लेखापाल सह प्रभारी, लेखा शाखा के प्रतिवेदनानुसार, **''परिवादी को दिनांक–01.01.2002 से दिनांक–31.01.2017 तक प्रथम एवं द्वितीय ACP के बकाया राशि का भुगतान उसके आश्रित को, उसके बैंक खाता के माध्यम से किया जा चुका है।''**

अब जबकि परिवाद पत्र में उल्लेखित शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के प्रतिवेदन (पृष्ठ 09–07/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव